प्रमाण पत्र शाखा

कार्य रूपरेखा (वर्क प्रोफाइल)

1. प्रकार्य (फंक्शन)

ऐसी स्थिति में आवेदको का अनुलिपि (डुप्लिकेट) प्रमाण पत्र/परिणाम पत्र जारी करना जब मूल प्रमाण पत्र खो जाए/नष्ट हो जाए या चोरी हो जाए। ऐसी स्थिति में माईग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करना जब आवेदक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण करना चाहता हो।

प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तारीख में बोर्ड के प्रमाण पत्रों में गलती में संशोधन जैसे कि।

नाम/उपनाम में परिवर्तन

कानूनन गोदनामें (गोद लेने के कारण) पिता और माता के नाम में परिवर्तन

2. सम्पर्क (अधिकारी)

उप सचिव	244171–244176 Ext.
सहायक सचिव	244174– (Ext.–116)
अधीक्षक	244171–244176 (Ext. 109, 128, 129)

प्रक्रिया :–

क) अनुलिपि (डुप्लिकेट) प्रमाण पत्र

i) प्रथम अनुलिपि प्रति

निर्धारित आवेदन पत्र पर आवश्यक शुल्क सहित आवेदन करें।

निर्धारित प्रपत्र पर पासपोर्ट आकार का छायांकन (फोटोग्राफ) चिपकाएं।

नियमित विद्यार्थी की स्थिति में आवेदन पत्र एवं फोटोग्राफ उस संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाएं जहां से आवेदक ने परीक्षा दी है और स्वयंपाठी आवेदक/विद्यार्थी की स्थिति में जो कभी भी किसी मान्यता प्राप्त/सरकारी विद्यालय में पढा हो ऐसी स्थिति में उसी विद्यालय के मुखिया द्वारा सत्यापित करवाएं जहां से आवेदक ने वह परीक्षा पास की है जिस परीक्षा का अनुलिपि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है साथ में आवेदन पत्र के कालम पांच (05) अनुसार अपना अनुक्रमांक, वर्ष व सत्र भरें।

ऐसे स्वयंपाठी (प्राईवेट) आवेदक जिन्होंने कभी भी किसी मान्यता प्राप्त/सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की वो अपना आवेदन पत्र और छायांकन शिक्षा विभाग हरियाणा के किसी राजपत्रित अधिकारी या बोर्ड के प्रथम श्रेणी अधिकारी या बोर्ड के सदस्य द्वारा सत्यापित करवा सकते है।

प्रायः अनुलिपि प्रमाण पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है। फिर भी अतिआवश्यक स्थिति में अनुलिपि प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दो व्यक्तिगत पहचान पत्र (आई.डी.) जमा करवाने पर दस्तीरूप से (बाई हैंड) दिया जाता है या आवेदन पत्र के साथ रू.200/– अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने पर दो दिन के अन्दर–अन्दर प्रेषित कर दिया जाएगा। आवेदक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति न तो आवेदन कर सकता है और न ही अनुलिपि प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

ii) द्वितीय अनुलिपि प्रति

अनुलिपि प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए, प्रथम प्रति के लिए किए गए सभी कार्यो के अलावा प्रथम श्रेणी कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्यापित शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें उन सभी तथ्यों की जानकारी हो जिसके कारण उसे अनुलिपि प्रमाण पत्र दूसरी प्रति रू.100/– अतिरिक्त शुल्क के साथ देना आवश्यक है।

iii) तृतीय अनुलिपि प्रति

तीसरी प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के अलावा अतिरिक्त शुल्क रू.200 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है, यदि द्वितीय अनुलिपि प्रमाण पत्र की प्रति खो गई है/नष्ट हो गई है।

(ख) प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण पत्र

निर्धारित आवेदन पत्र पर, उस बोर्ड/विश्वविद्यालय के नाम की सूचना दें जहां विद्यार्थी जाना चाहता है, रू. 100/– आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन करें।

ऐसी स्थिति में जब मूल प्रवर्जन प्रमाण पत्र खो जाता है तो निर्धारित आवेदन पत्र पर आवश्यक शुल्क सहित एक हलफनामा/शपथपत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो जिसमें यह वर्णित करते हुए कि मेरा मूल प्रमाण पत्र खो गया है, जमा करवाना होगा।

(ग) बोर्ड के प्रमाण पत्रों में गलतियों में संशोधन

1. नाम/पिता का नाम/माता का नाम में संशोधन

इस तरह के संशोधन के लिए प्रार्थना विद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के एक वर्ष के अन्दर–अन्दर उन विद्यार्थियों के संदर्भ में मान्य है जिन्होने 2008 से पहले परीक्षा पास की है और उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जिन्होंन 2008 के बाद परीक्षा पास की है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व उस पर अंकित नियम/निर्देश सावधानीपूर्वक पढें। बोर्ड परीक्षा पास करने के पश्चात यदि आवेदक/विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्रों पर नाम/पिता/माता के नाम त्रुटि पाता है।

आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करें।

बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी मूल प्रमाण पत्र संलग्न करें।

पूर्णरूप से भरा गया आवेदन पत्र अन्तिम संस्था के मुखिया द्वारा सत्यापित करवाएं।

संशोधन के लिए विद्यालय के दस्तावेजों की मूल प्रति, दाखिला खारीज रजिस्टर, चस्पा (पेस्ट) फाईल, प्रथम दाखिला पत्र प्रस्तुत करें।

2. जन्मतिथि में संशोधन

परीक्षार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा पास की है ओर जिनके जन्मतिथि में स्कूल रिकार्ड और प्रमाण पत्र में अंतर है, वे अपनी जन्मतिथि को स्कूल रिकार्ड के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने के एक साल के अन्दर–अन्दर ठीक करवा सकते है। ऐसे परीक्षार्थियों से प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक शुल्क लिया जाएगा। ये फार्म डाक से या दस्ती (स्वयं) जमा करवाने चाहिए। ऐसे फार्म जो परीक्षार्थी द्वारा डाक से भेजे जाते हैं, वे पावती विभाग में भेजे जाते है, जिसे R and D विभाग कहा जाता है, जो आगे इन फार्मो को कैश अनुभाग/प्रमाण पत्र शाखा में भेजते हैं। यद्यपि जो प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते है वे प्रमाण पत्र विभाग द्वारा लिए जाते है।

3. नाम में बदलाव

यदि एक परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा पास करने के उपरांत अपना नाम बदलवाना चाहता है तो उसे नाम बदलवाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन देना चाहिए। दिए हुए प्रार्थना पत्र पर आवश्यक शुल्क सहित आवेदन करें तथा अन्तिम संस्थान के मुखिया द्वारा वह फार्म विधिवत रूप से सत्यापित होना चाहिए। अगर कोई परीक्षार्थी अपना नाम दिनेश से मोहन बदलता है तो वह बोर्ड के प्रमाण पत्र में दिनेश उर्फ मोहन दर्शाया जाएगा।

अखबार में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र जमा करें।

आवेदन पत्र में देय अनुसार प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र भी जमा करें

4. गोद नामें के कारण माता पिता के नाम में परिवर्तन

माता पिता के नाम में परिवर्तन केवल कानूनन रूप से गोद लेने पर ही मान्य है।

आवेदन कैसे करे?

आवेदन पत्र पर ही आवेदन करें, आवश्यक शुल्क सहित जमा करवाए।

गोद नामें की मूल प्रति जमा करवाएं व इसकी एक सत्यापित प्रति भी जमा करवाएं।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष असली माता–पिता द्वार गोद नामे का हलफनामा जमा करवाया जाए।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष जिन माता–पिता ने आवेदक को गोद लिया है उसका हलफनामा।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष दो राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित/मान्य व्यक्तियों द्वारा गोदनामें का हलफनामा।

शुल्क विवरण :–

बोर्ड की वेबसाईट पर आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है/उपलब्ध है।

प्रथम अनुलिपि	यह पन्द्रह दिन में आवश्यकता है	रू.400/–
प्रमाण पत्र	यदि तुरंत आवश्यक है	रू.600/–
द्वितीय अनुलिपि	यह पन्द्रह दिन में आवश्यकता है	रू.500/–
प्रमाण पत्र	यदि तुरंत आवश्यक है	रू.700/–
तृतीय अनुलिपि	यह पन्द्रह दिन में आवश्यकता है	रू.600/–
प्रमाण पत्र	यदि तुरंत आवश्यक है	रू.800/–
माईग्रेशन प्रमाण पत्र		रू.100/–

नाम और पिता के नाम में संशोधन	रू. 300/– प्रति त्रुटि सुधार + 400/–प्रति प्रमाण पत्र
नाम में परिवर्तन	रू. 100/– + 400/–प्रति प्रमाण पत्र
गोद/दतक की स्थिति में माता–पिता नाम में परिवर्तन	रू. 150/– + 400/–प्रति के प्रमाण पत्र
जन्म तिथि में त्रुटि सुधार	रू. 500/– प्रति त्रुटिसुधार + 400/–प्रति प्रमाण पत्र